

डिक्री नमूकदमें इब्दाई
(आदेश 20 नियम 67 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-गुगरियाली
मु0न0 11/2018

राजस्व लोक अदालत आभियान
न्याय आपकों धार-2018

- बनाम
1. खीवराज
 2. रामभवतार पुत्रगण बालाराम जाति जाट निवासीगण डिडियाकलां तहसील जायल जिला-नागौर

विवादीगण-
1. बालाराम पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88,188
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-09.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

1. वादी संख्या 1 खिवराज के हक वंट में मोजा डिडियाकलां का खेत ख नं 509 रकबा 10 बीघा 5 विश्वा व ख नं 668 रकबा 13 बीघा पुरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 रामभवतार के हक वंट में मोजा डिडियाकलां का खेत ख नं 535 रकबा 24 बीघा 13 विश्वा पुरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 बालाराम के हक वंट में मोजा डिडियाकलां का खेत ख नं 249 रकबा 07 बीघा 19 विश्वा व खेत ख नं 250 रकबा 10 बीघा 15 विश्वा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

तीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

नूब	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी टाक			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प इन्ह सानूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीनर		
फीस कमीनर			बाबत इजराय हुवमीजान		
बाबत इजराय हुवमीजान			मुतफरिक		
मुतफरिक					

नोट - इस खर्च के फर्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, इसका प्राहिये।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला-नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-गुगरियाली

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/57

दिनांक-9.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला-नागौर